



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

दूरभाष-0135&2655620, 2658204 फ़ैक्स-0135&2651061

वेबसाइट-www.nagarnigamdehradun.com

ई-मेल nagar_nigam2008@yahoo.com, nagarnigam.ddn@gmail.com



अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I)

नगर निगम देहरादून में अमृत-1.0 योजना के अन्तर्गत अर्बन ग्रीन स्पेस पार्क लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी, तिलक पार्क, जाखन में दीन दयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम देहरादून में गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा रख-रखाव का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I) आमंत्रित की जाती है। आवेदन पत्र राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यालय नगर निगम से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि-01/03/2024 को सांय 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट /दस्ती के माध्यम स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त हुये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे। सम्बन्धी शर्तें एवं आवेदन प्रारूप नगर निगम वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से भी प्राप्त की जा सकती है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकारी का होगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या - 6201/Project Cell/NULM/2023-24

दिनांक - 22/02/2024

प्रतिलिपि :

1. प्रशासक महोदया, को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संपादक, दैनिक समाचार पत्र/.....को अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी एडिशन में विज्ञापित प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री-मनीष पंत को उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I) को नगर निगम की बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त

नगर निगम, देहरादून।

अर्बन ग्रीन स्पेस पार्क लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार
कालोनी,तिलक पार्क,जाखन के रख-रखाव

(टी0ओ0आर0) हेतु शर्तें

1. स्वयं सहायता समूह डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत नगर निगम,देहरादून में पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. स्वयं सहायता समूह द्वारा पंच सूत्र (जैसे- नियमित बैठक,नियमित बचत, नियमित आन्तरिक लेन-देन,,नियमित उधार वापसी एवं बही खातों का रख-रखाव) के तहत कार्य कर रहे हो।
3. स्वयं सहायता समूह में से कम से कम एक महिला को आठवीं पास एवं डिजिटल साक्षर होना भी अनिवार्य है।
4. स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता समूह के नाम से खुला होना चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूह में सम्मिलित महिलाओं की आपराधिक पृष्ठ भूमि नहीं होनी चाहिये।
6. स्वयं सहायता समूह में सम्मिलित महिलाओं का पेयजल एवं निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र में अनुभव होने पर वरियता दी जायेगी।
7. नगर निगम,देहरादून में स्थापित पार्कों के वार्ड में गठित स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी,तिलक पार्क,जाखन के रख-रखाव हेतु कार्यकाल की अवधि एवं विस्तार शहरी विकास निदेशालय एवं नगर निगम,देहरादून के निर्देशानुसार किया जायेगा।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट)

9. लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी,तिलक पार्क,जाखन के रख-रखाव हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.o.I) आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव डाक द्वारा या दस्ती जमा भी किये जायेंगे।
10. स्वयं सहायता समूह को ग्रीन स्पेस पार्कों की देख-रेख,सामान्य सफाई,फूल पोधों की देख रेख एवं पानी देना, पार्क में अनाधिकृत गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना,
11. स्वयं सहायता समूह को परियोजना की लागत का कुल 7.50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
12. अभिरूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज लिफाफे के ऊपर " अर्बन ग्रीन स्पेस पार्क लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी,तिलक पार्क,जाखन के रख-रखाव " लिखकर रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट/दस्ती द्वारा कार्यालय, नगर निगम देहरादून, पिन कोड - 248001 (उत्तराखण्ड) को भेजें। यदि स्वयं सहायता समूह दोनों स्थानों हेतु आवेदन करता है,तो उसे अलग-अलग आवेदन करना होगा।
13. प्रस्ताव डाक द्वारा एवं स्वयं से ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि 01.03.2024 सांय 4.00 बजे तक है।
14. डाक व्यवस्था/दस्ती से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
15. किसी भी प्राप्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार बिना कारण बताये कर सकता है।
16. स्वयं सहायता समूह से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।



17. लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी, तिलक पार्क, जाखन के रख-रखाव हेतु कार्यकाल की अवधि एवं विस्तार शहरी विकास निदेशालय एवं नगर निगम, देहरादून के निर्देशानुसार बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है।
18. स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्ताव पर लगेंगे वह समूह की अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने आवश्यक है।
19. आवेदन पत्रों की लघु सूची तैयार की जायेगी। लघु सूची के अनुसार प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा की जायेगी।

मूल्यांकन के मानदंड

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट) में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना है:-


क्रमांक	पात्रता मानक	अंक
1.	स्वयं सहायता समूह डे0एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून में पंजीकृत	20
2.	स्वयं सहायता समूह द्वारा पंच सूत्र -	50
	1. नियमित बैठक -	10
	2. नियमित बचत -	10
	3. आन्तरिक ऋण -	10
	4. नियमित उधार वापसी का भुगतान	10
	5. खाता बही का रख-रखाव -	10
3.	स्वयं सहायता समूह में से कम से कम एक महिला को आठवीं पास एवं डिजिटल साक्षर होना भी अनिवार्य है।	15
4.	स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता समूह के नाम से खुला होना चाहिए	15
	कुल	100
<p>नोट:- लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी, तिलक पार्क, जाखन के रख-रखाव हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे, अथवा गठित समिति द्वारा निर्यण लिया जायेगा।</p>		

(Handwritten signatures)

नगर निगम, देहरादून

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा अर्बन ग्रीन स्पेस पार्क लाला लाजपत राय पार्क इन्दिरा नगर
कालोनी देहरादून एवं दून विहार कालोनी, तिलक पार्क, जाखन के रख-रखाव
हेतु आवेदन पत्र

1. समूह का नाम-
2. गठन की तिथि-.....
3. पंजीकरण संख्या-.....
4. समूह का पता-.....
5. अध्यक्ष का नाम-.....मोबाईल न0.....
6. नियमित बैठक-.....
7. नियमित बचत-.....
8. आन्तरिक लेन-देन,-.....
9. नियमित उधार वापसी का भुगतान -.....
10. खाता बही का रख-रखाव-.....
11. स्वयं सहायता समूह में से कम से कम एक महिला को आठवीं पास एवं डिजिटल साक्षर
होना भी अनिवार्य है-.....
12. स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का नाम-.....
नोट- कम संख्या -01 से 11 तक के सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ सलग्नक करने होंगे।



स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष
(समूह की मुहर सहित)